न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—काना राम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—38/2024 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री काशी राम पुत्र श्री सरदारा राम, उम्र—57, पता—वार्ड संख्या—11, शास्त्री चक्की के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ, राजस्थान—335803।
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी काशी राम, पता— उम्र—55, पता—वार्ड संख्या—11, शास्त्री चक्की के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ, राजस्थान—335803।
3. श्री मुकेश पुत्र श्री काशी राम, उम्र—33, पता—वार्ड संख्या—11, शास्त्री चक्की के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ, राजस्थान—335803।
4. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मुकेश, उम्र—30, पता—वार्ड संख्या—11, शास्त्री चक्की के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ, राजस्थान—335803।
5. श्री हरलाल पुत्र श्री काशी राम, उम्र—30, पता—वार्ड संख्या—11, शास्त्री चक्की के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ, राजस्थान—335803।

.....ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश दिनांक:—04.12.2024

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर—302019 राज. में स्थित व कार्यरत है तथा जिसका पंजिकृत कार्यालय चौथी मंजिल, फेज—।।, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई—600002 तमिलनाडू है। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह है।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री नितिन छाबड़ा, नरेन्द्र शर्मा वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने दिनांक 24.01.2018 को ऋणी/सहऋणी— श्री काशी राम, श्रीमती कमला देवी, श्री मुकेश, श्रीमती रेखा व श्री हरलाल को ऋण खाता संख्या SEHNUMN0159138 में ऋण राशि रूपये 2,31,000/— (अखरे दो लाख इक्कतीस हजार रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में अपनी अचल सम्पति—पट्टा संख्या—61, प्लॉट संख्या—67, पुराना वार्ड संख्या—07, नया वार्ड संख्या—11, तहसील—पीलीबंगा, जिला—हनुमानगढ, राजस्थान में स्थित है जो श्री काशीराम पुत्र श्री सरदारा राम के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 1351

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

वर्गफीट (150.1 वर्गगज) है जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में सांयिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय पर चुकाने में असफल होनें पर ऋणी के ऋण खाता को बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 08.10.2022 को अनर्जक परिसम्पति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को मांग नोटिस दिनांक 10.10.2023 रजिस्टर्ड डाक से भेज कर एवं उसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों जनसत्ता (हिन्दी) व द इण्डियन एक्सप्रेस (इंग्लिश) में दिनांक 08.11.2023 को प्रकाशित कर कुल बकाया राशि रुपये 1,48,726/– (अक्षरे एक लाख अडतालीस हजार सात सौ छब्बीस रुपये) दिनांक 29.09.2023 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई थी। परंतु ऋणी/सहऋणी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्तर्गत यह मांग पूरी नहीं की गयी व किसी प्रकार की कोई ऋणी/सहऋणी द्वारा 13(2) के मांग नोटिस की आपत्ति नहीं दी गई।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पति–पट्टा संख्या–61, प्लॉट संख्या–67, पुराना वार्ड संख्या–07, नया वार्ड संख्या–11, तहसील–पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ, राजस्थान में स्थित है जो श्री काशीराम पुत्र श्री सरदारा राम के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 1351 वर्गफीट (150.1 वर्गगज) है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

-2-

वर्गफीट (150.1 वर्गगज) है जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय पर चुकाने में असफल होनें पर ऋणी के ऋण खाता को बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 08.10.2022 को अनर्जक परिसम्पति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को मांग नोटिस दिनांक 10.10.2023 रजिस्टर्ड डाक से भेज कर एवं उसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों जनसत्ता (हिन्दी) व द इण्डियन एक्सप्रेस (इंग्लिश) में दिनांक 08.11.2023 को प्रकाशित कर कुल बकाया राशि रुपये 1,48,726/– (अक्षरे एक लाख अड़तालीस हजार सात सौ छब्बीस रुपये) दिनांक 29.09.2023 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चें अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई थी। परंतु ऋणी/सहऋणी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्तर्गत यह मांग पूरी नहीं की गयी व किसी प्रकार की कोई ऋणी/सहऋणी द्वारा 13(2) के मांग नोटिस की आपत्ति नहीं दी गई।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति–पट्टा संख्या–61, प्लॉट संख्या–67, पुराना वार्ड संख्या–07, नया वार्ड संख्या–11, तहसील–पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है जो श्री काशीराम पुत्र श्री सरदारा राम के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 1351 वर्गफीट (150.1 वर्गगज) है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़